

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2014—आश्विन 4, शक 1936

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2014

क्र. एफ 23-17-2014-पच्चीस-5.—राज्य शासन एतद्वारा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों के लिये छात्रावास प्रवेश नियम-2014 निर्मित करता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.**—1.1 ये नियम अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावास नियम-2014 कहलायेंगे.
- 1.2 इनका विस्तार एवं कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.
- 1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.
- 1.4 ये नियम उन समस्त छात्रावासों पर प्रभावशील होंगे, जिनका अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रबंध एवं संचालन होता है.
2. **परिभाषायें.**—2.1 “छात्रावास” से तात्पर्य उन छात्रावासों से है जो कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि आश्रम, छात्रावास, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास आदि.
- 2.2. “छात्र/छात्रा” से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो किसी स्थानीय शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हैं.
- 2.3 “अधीक्षक” से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो कि छात्रावास से व्यवस्थापन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये हों.
3. **प्रवेश एवं छात्रावास समिति.**—3.1 विभागीय छात्रावासों में प्रवेश निम्न प्रतिशत के अनुरूप होगा—

90 प्रतिशत—अनुसूचित जाति

10 प्रतिशत—गैर अनुसूचित जाति, वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के छात्र छात्रायें

3.2 छात्रावास समिति— (अ) जिले में संचालित समस्त छात्रावासों के लिये निम्न सदस्यों की एक “छात्रावास समिति” गठित की जावेगी जो छात्रों को प्रवेश की आज्ञा प्रदान कर छात्रावासों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखेगी:—

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | कलेक्टर या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी | अध्यक्ष |
| (2) | अध्यक्ष द्वारा स्थानीय शिक्षण संस्था का एक मनोनीत सदस्य | सदस्य |
| (3) | जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जाति का विधायक न होने की दशा में अनुसूचित जनजाति वर्ग से विधायक. | सदस्य |
| (4) | जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी | सदस्य |
| (5) | आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी | सचिव |

अध्यक्ष सहित तीन सदस्य मिलकर सभा की गणपूर्ति करेंगे.

टिप्पणी :— 3.3 उन परिस्थितियों में जबकि आवेदकों की संख्या छात्रावास के लिये निर्धारित जगहों से कम हो, सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा प्रवेश दिया जा सकेगा.

- 3.4 नवीनीकरण के प्रकरणों में प्रवेश की स्वीकृति सहायक आयुक्त/जिला संयोजक द्वारा दी जा सकेगी.
- 3.5 नवीन प्रकरणों में समिति की अनुशंसा पर प्रवेश की स्वीकृति जिलाध्यक्ष द्वारा दी जावेगी.

4. **प्रवेश प्रणाली**.—4.1 छात्रावासों में प्रवेश पाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि प्रतिवर्ष जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी. आवेदन पत्र विलंब से प्राप्त होने की दशा में जिलाध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में प्रवेश की अनुमति देने हेतु अधिकृत होंगे.

4.2 प्रवेश हेतु समस्त आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में छात्रावास अधीक्षक को प्रस्तुत होंगे.

4.3 छात्रावास में प्रवेश पाने हेतु छात्र को किसी स्थानीय शिक्षण संस्था में प्रविष्टि होना अनिवार्य होगा. किसी स्थानीय शिक्षण संस्था में प्रतीक्षित प्रवेश की अवस्था में छात्रों को अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा.

4.4 छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षण सत्र के लिए होगा. छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही एक सादे कागज पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा.

4.5 छात्रावासों में प्रवेश पाने के लिये आवेदन पत्र के साथ गत शैक्षणिक सत्र का परीक्षा परिणाम/अंक सूची, स्थाई जाति प्रमाण पत्र व मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण-पत्र की छाया प्रतियां संलग्न हों, अभिभावक का सहमति पत्र तथा संस्था प्रमुख द्वारा आवेदन पत्र का अग्रोषण आवश्यक होगा.

4.6 कक्षा 6 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राये छात्रावासों में प्रवेश के पात्र होंगे.

4.7 प्री मैट्रिक छात्रावासों में आय सीमा का बंधन नहीं होगा. पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में प्रवेश के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा का बंधन होगा.

4.8 विभागीय प्री मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी प्रावधान निम्न व्यवस्था के तहत प्रभावशील होंगे—

- (1) जो विद्यार्थी 10वीं के उपरांत अभी छात्रावास में निवासरत हैं, उनको 12वीं तक नियमित रूप से छात्रावास में रहने की सुविधा यथावत बनाये रखें.
- (2) रिक्त स्थान होने पर 10वीं तक के विद्यार्थियों को मापदण्डों के अनुरूप प्राथमिकता पर प्रवेश दें.
- (3) इसके बाद भी यदि रिक्त स्थान रहता है तो नवीन 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के आवेदनों पर मापदण्ड अनुसार प्रवेश दिया जाये.

4.9 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में महाविद्यालयीन /स्नातकोत्तर विद्यार्थी यदि पूर्व से ही रह रहे हों तो उन्हें मापदण्ड अनुसार पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक छात्रावास में रहने की सुविधा निरंतर रखी जाये. जो खाली सीट बचती है उनमें 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाये. प्राथमिकता का तात्पर्य होगा कि नवीन 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को मापदण्ड अनुसार प्रवेश दें. यदि उसके उपरांत भी सीट खाली बचती है तो महाविद्यालयीन स्तर के नये विद्यार्थियों को मापदण्ड अनुसार प्रवेश दें.

4.10 पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी विद्यार्थी की छात्रावास में रहने की पात्रता स्वतः समाप्त हो जायेगी. किसी भी विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् उसी स्तर के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर छात्रावास में रहने की पात्रता नहीं होगी.

4.11 यदि कोई विद्यार्थी एक बार से ज्यादा एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे छात्रावास में रहने की पात्रता समाप्त हो जायेगी.

5. **योग्यतायें.**—छात्रावास में प्रवेश पाने के लिए छात्र योग्य होगा
यदि :—

5.1 कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक नवीन प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा.

5.2 छात्र/छात्राओं का चयन में पूर्व वर्षों से निवास कर रहे छात्रों को सर्वप्रथम नवीनीकरण से प्रवेश दिया जायेगा. शेष सीटों पर मेरिट तथा संस्था से छात्र छात्राओं के गृह निवास की दूरी को आधार बनाया जायेगा.

5.3 उन छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी जो छात्रावास से पांच मील की परिधि में निवास नहीं करते हैं तथा जहां कोई भी शैक्षणिक संस्था उस पांच मील की परिधि में उपलब्ध नहीं हो.

5.4 गत वर्ष के प्रवेशित छात्रों को निम्न आधारों पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

यदि छात्र:—

(1) वार्षिक परीक्षा में एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है?

(2) शाला या छात्रावास में पर्याप्त में उपस्थिति न हो;

(3) आचरण उत्तम न रहा हो, या

(4) अन्य किसी कारण से जिसे छात्रावास समिति या जिलाध्यक्ष योग्य समझे. तथापि ऐसे कारणों से जो छात्र के नियंत्रण के बाहर हो, जैसे अस्वस्थता, पारिवारिक संकट के कारण वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न हो सका हो तो छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु विचार किया जा सकेगा.

5.5 मध्यप्रदेश का मूल निवासी अनुसूचित जाति के छात्र छात्रायें प्रदेश के किसी भी छात्रावास में प्रवेश के लिये पात्र होंगे लेकिन छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन की पूर्व स्थानीय, शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रवेश होना आवश्यक होगा.

6. **छात्रावास से निष्कासन.**—किसी भी छात्र को निष्कासित करने का अधिकार छात्रावास समिति या जिलाध्यक्ष को रहेगा
यदि :—

6.1 छात्र छात्रावास में अन्तःकालीन प्रवेश के पश्चात् एक माह के भीतर किसी स्थानीय शैक्षणिक संस्था में प्रविष्ट नहीं हो गया है;

6.2 जांच के पश्चात् यह पाया जावे कि छात्र ने अनुसूचित जाति या जनजाति की गलत जानकारी प्रस्तुत की है, या अन्य किसी कारण से उसका प्रवेश छात्रावास के प्रवेश नियमों के विरुद्ध हैं;

6.3 छात्र नियमित रूप से शाला में उपस्थित नहीं रहा हो या छात्रावास में निवास नहीं करता हो;

6.4 छात्र की उपस्थिति से छात्रावास के अन्य छात्रों के लिये अनुशासनात्मक या हानिकारक प्रभाव की दृष्टि से आपत्तिजनक हो या किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो.

7. **शिष्यवृत्ति.**—छात्रावास में प्रविष्ट छात्रों को शिष्यवृत्ति का भुगतान निम्न प्रकार होगा:—

- 7.1 शासन द्वारा स्वीकृत दर से शिष्यवृत्ति उन छात्रों को देय होगी जो कि छात्रावास में नियमानुसार शैक्षणिक योग्यता आदि जैसा कि शासन समय-समय पर निर्धारित करें, छात्रावास में प्रविष्ट हो चुके हैं. यह शिष्यवृत्ति छात्रावास के प्रारंभ से 10 माह के लिये धार्य होगी.
- 7.2 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में मेस संचालन हेतु 500/- रुपये प्रतिमाह अधीक्षक और मेस सचिव के खाते में जमा की जायेगी. प्रत्येक छात्र द्वारा 500/- रुपये का अंशदान दिया जायेगा. मेस कमेटी द्वारा मेस का संचालन किया जायेगा. मेस कमेटी अधीक्षक और तीन छात्रों को मिलाकर बनाई जायेगी.
- 7.3 शिष्यवृत्ति का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख के पूर्व किया जाना आवश्यक है.
- 7.4 छात्रों की शिष्यवृत्ति का उपयोग शिक्षा हेतु होगा. छात्रों द्वारा मेस संचालन हेतु आवश्यक शिष्यवृत्ति छात्रावास अधीक्षक और मेस सचिव के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी. जो छात्रावास की भोजनालय समिति के लिये राशि उपलब्ध करायेगा. मेस संचालन के बाद शिष्यवृत्ति की बचत राशि का उपयोग शिक्षण, वस्त्र, पुस्तकें, अध्ययन, यात्रा आदि हेतु किया जा सकेगा.

8. **सामान्य.**—8.1 छात्रावास में प्रवेश प्राप्त छात्रों को निवास की सुविधा, निःशुल्क बिजली, शुद्ध पेयजल, पुस्तकालय, समाचार पत्र, पत्रिका एवं स्वास्थ्य सहायता से संबंधित सुविधायें दी जायेंगी.

8.2 छात्रावास में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को भोजनालय में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा और अपनी शिष्यवृत्ति की राशि में से भोजनालय भार का भुगतान करना होगा. जिन छात्रों को शिष्यवृत्ति प्राप्त न होती हो, उनको अपने स्वयं के साधन से भुगतान करना होगा.

8.3 यदि छात्र बिना अनुमति के छात्रावास या शिक्षण संस्था से अनुपस्थित रहे या छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करें तो उसके विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्यवाही की जावेगी जो कि उसको छात्रावास से निष्कासित करने तक सीमित होगी.

8.4 छात्रों के लिये 10 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 30 दिवस का अस्वास्थ्य अवकाश स्वीकार्य होगा.

8.5 योग्य परिस्थितियों में जिलाध्यक्ष द्वारा अधिक अनुपस्थिति क्षमा की जा सकेगी.

8.6 शासकीय अवकाशों के दिनों में छात्र शिष्यवृत्ति पाने के योग्य होगा.

8.7 अन्य प्रकार से अनुपस्थित रहने पर छात्र शिष्यवृत्ति पाने से वंचित रहेगा.

8.8 वे समस्त छात्रावास जिन पर ये नियम लागू होंगे, आयुक्त अनुसूचित जाति विकास के नियंत्रण में रहेंगे.

8.9 इन नियमों के किसी खंड या उपखंड की व्याख्या हेतु आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के निर्देश अंतिम होंगे.

9 **निरसन.**—एतद्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये संचालित छात्रावास प्रवेश संबंधी प्रभावशील पूर्व नियम तथा समय-समय पर जारी किये गये आदेश निरस्त किये जाते हैं.

अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.